

श्री कमलकान्त प्रसाद
सचिव
लोकनि एवं राज्य संपत्ति विभाग

सेवा में,

समस्त मुख्य सचिव/सचिव,
उपरोक्त शाखाएँ
समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष

राज्य संपत्ति विभाग -2

संज्ञक: दिनांक: 2 जनवरी, 1992

विषय:-

राजकीय कर्मियों की सेवा निवृत्ति / मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में राज्य संपत्ति विभाग के आवासों के अपरिहार्य अध्यासन के लिये किराया का निर्धारण।

संदर्भ,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कतिपय मामलों में सरकारी कर्मियों द्वारा सेवा निवृत्ति / मृत्यु एवं स्थानान्तरण के उपरान्त अतिरिक्त अवधि तक सरकारी आवासों पर कब्जा बनाये रखा अपरिहार्य हो जाता है। इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय अध्यासी की सेवा निवृत्ति / मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में अपरिहार्य परिस्थितियों राजकीय आवासों में अध्यासित रहने की स्थिति में निम्नवत् किराया निर्धारित किये जाने की सहस्र रजिस्ट्रारि प्रदान करते हैं :-

111 सेवा निवृत्ति / मृत्यु की दशा में सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तिथि से एक माह तक का किराया सामान्य दर अर्थात् फ्लैट रेंट से लिया जायेगा। उसके पश्चात् तीन मास की अतिरिक्त अवधि का अध्यासन राज्य सरकार की विशेष अनुज्ञा से सामान्य दर पर रखा जा सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अध्यासी जबवा उसके उच्चराशिकारी एक मास का सामान्य अध्यासन अवधि समाप्त होने के पूर्व ही अतिरिक्त अध्यासन हेतु आवेदन पत्र देगा। उक्त अवधि की समाप्ति पर सम्बन्धित अध्यासी को अनिवार्यतः आवास रिक्त करना होगा।

121 राजकीय कर्मियों के स्थानान्तरण की दशा में कार्यभार छोड़ने की तिथि से एक मास तक का किराया सामान्य दर से लिया जायेगा। एक मास की अवधि के उपरान्त दो माह तक की अवधि के लिये राज्य सरकार की विशेष अनुज्ञा से किराया सामान्य दर पर लिया जा सकता है। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित अध्यासी एक मास का सामान्य अध्यासन अवधि समाप्त होने के पूर्व ही अतिरिक्त अध्यासन का आवेदन पत्र देगा। तत्पश्चात् अगले दो मास के लिये सामान्य किराये के दो गुना दर पर अनुवर्ती अगले श्रृंखले 2 मास के लिये सामान्य किराये के तीन गुना दर पर लिया जायेगा। 7 मास की उक्त अवधि के पश्चात् भवन अनिवार्यतः रिक्त क्त दिया जायेगा।

131 सेवा निवृत्ति / मृत्यु एवं स्थानान्तरण की दशा में किये गये अनुवर्ती अध्यासन के लिये जैसा कि स.स.सी. खंड-2 भाग-2-4 के मूल नियम-45-ए-14 के अधीन एने गये किराया नियम-18-ए-151 में दिया गया है,

की स्थिति में शासनादेश संख्या-आर-8004/32-2-38, दिनांक 24 दि मर, 1988 के अनुसार प्रणो-1, 2 और 3 के भवनों के लिये स्वया 20 प्रतिवर्ग मीटर लिफ्टिंग दरिया की निर्धारित दर तथा शेष अन्य भवनों के लिये स्वया 25 प्रतिवर्ग मीटर की निर्धारित दर से प्रतिमाह हदिकृति देय होगी।

2- उपर्युक्त निर्धारित किराये से कोई भी विप्लन संदर्भित मामलों के गुणागुण के आधार पर वित्त विभाग की सहमति से ही किया जा सकेगा तथा ऐसे प्रत्येक अपवादिक विप्लन पर विभागीय मंत्री जी तथा मा० मुख्य मंत्री जी का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

3- यह आदेश एक जुलाई 1988 से प्रभावी होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशांतकीय पत्र संख्या-जी-111 1102/दर-91, दिनांक 27-11-91 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहे हैं।

भवदीय,

कमल कान्त जेठवाल
सचिव

संख्या-आर-02 111/32-2-91 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संपाठ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख अभियन्ता, लॉ०नो विभाग, लखनऊ।
- 2- मेंबेलेखाकार, 3050 इलाहाबाद।
- 3- संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नगर विकास मंत्रालय/सम्पत्ति निदेशालय, नई दिल्ली।
- 4- लखनऊ स्थित भारत सरकार के समस्त विभागाध्यक्ष।
- 5- राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के प्रबन्ध निदेशक।
- 6- निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, जयपुर भवन, लखनऊ।
- 7- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद।
- 8- 3050 समस्त मंत्रालय के निजी सचिव/सचिवालय के समस्त अधिष्ठाता अनुभाग।
- 9- मुख्य सचिव, के स्टाफ अधिसूक्त/सचिव, श्री राज्यपाल, 3050 लखनऊ।
- 10- सचिवालय के समस्त अनुभाग/स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली।
- 11- स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली/स्थानिक अधिकारी कलाकता।
- 12- विहित प्राधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
- 13- विलत + सामान्य। अनुभाग-1। तीन प्रतियों में।

आज्ञा से,

सी० डी० सिंह
विशेष कार्यवाहिकारी एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी

निर्गमन प्राप्त

21/7/18
1 मर 1988
अनुभाग अधिष्ठाता
राज्य सम्पत्ति अनुभाग -2
3050 सचिवालय, लखनऊ।

1.1
upload की

21/8
19.07.18

(देवेन्द्र शाह)
अधिसासी अभियन्ता

विभाग